सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

आर. राजेश
निदेशक
R. Rajesh
Director
TELFAX : 23361247

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

सं. सी/4/2008-एमपीलैड्स

Dated **22.07.2010**

सेवा में

आयुक्त, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम,
सभी जिलों के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषयः- ऑनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से सूचना भेजना ।

ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि मंत्रालय ने 2009 में **ऑनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्टिंग प्रणाली (ओएमपीआरएस)** की शुरूआत की थी जिसका उद्देश्य निधियां जारी करने में तेजी लाना, पूरे देश में एक समान प्रपत्र में मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कॉमन प्लेटफार्म की व्यवस्था करना तथा उन्हें ऑनलाइन सूचना प्रदान कराना और अधिकाधिक सूचना उपलब्ध कराना था । इसमें यह भी कल्पना की गई थी कि यह प्रणाली स्थापित हो जाने के बाद मासिक प्रगति रिपोर्ट की हार्ड कापी भेजने की बजाए इसे ऑनलाइन ही उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

2. लेकिन यह देखा गया है कि ओएमपीआर में समुचित रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, जिसके फलस्वरूप एमपीआर की हार्डकापी प्रणाली अब भी जारी है और नई प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है । अतः ओएमपीआर का फायदा नहीं उठाया जा रहा है । कुछ जिलों ने तो ऑनलाइन एमपीआर भेजना शुरू भी नहीं किया है । इस बारे में, निम्नलिखित निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए:-

(i) **सभी नोडल जिले 15वीं लोक सभा, 14वीं लोक सभा तक, यथा-स्थिति वर्तमान तथा पूर्व राज्य सभा सदस्यों के संबंध में ऑनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्ट हर हालत में प्रत्येक माह अवश्य प्रस्तुत करेंगे ।**

(ii) **ऑनलाइन एमपीआर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संबंध में सूचना सम्मिलित होनी चाहिए । तालिका-IV में उल्लिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निधियों के उपयोग की सूचना का मिलान, प्राप्त निधियों और प्रयुक्त तालिका-III में दर्शाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रयुक्त निधियों से करना चाहिए ।**

(iii) यह देखा गया है कि एमपीलैड्स कार्यों के मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर में दर्ज़ कार्य, ओएमपीआरएस में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि कार्यों के मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर में दर्ज़ कार्य अपेक्षाकृत कम होते हैं । **अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्क्स मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर में दर्ज़ राशि, निर्वाचन-क्षेत्र/सांसद विशेष के संबंध में ऑनलाइन मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली में दर्शाई गई संख्या और लागत से मेल खानी चाहिए । ऑनलाइन प्रणाली में, लागत लाख रुपयों में दिखाई जाए, जबकि वर्क्स मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर में कार्यों की लागत रुपयों में दिखाई जानी चाहिए ।**

(iv) यह देखा गया है कि ऑनलाइन एमपीआर में दिए गए आंकड़े हार्डकापी एमपीआर में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं । यह एक गंभीर विसंगति है, जिससे ऑनलाइन प्रणाली की कारगरता को नुकसान पहुंचेगा । **यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑनलाइन एमपीआर हार्डकापी एमपीआर से पूरी तरह मेल खाए और इनमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए ।**

(v) **सांसद के संबंध में बैंक खाता संख्या और ब्रांच कोड का एमपीआर में उल्लेख किया जाना चाहिए ।**

भवदीय,

आर.राजेश

(आर.राजेश)
निदेशक

प्रतिलिपिः-

सचिव, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल विभाग ।